फार्म जमा करवाने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 2017

# राजस्थान ललित कला अकादमी

जे–15 झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004

## छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र

1. प्रार्थी का नाम .....

2. जन्म दिनांक एवं स्थान .....

3. (क) पिता का नाम .....

   (ख) व्यवसाय .....

   (ग) पता.....

   (घ) पिता की वार्षिक आय .....

4. प्रार्थी का स्थायी पता .....

   .....

5. प्रार्थी का वर्तमान पता .....

   .....

   फोन न. .....ई–मेल पता .....

6. प्रार्थी को अन्य किसी स्त्रोत से छात्रवृत्ति मिल रही है – नहीं मिल रही है (यदि मिल रही हो तो उसका विवरण देवें। .....

7. प्रार्थी किस संस्था में अध्ययन कर रहा है :–

   (क) कक्षा .....

   (ख) विषय .....

8. शैक्षणिक योग्यता (सैकण्डरी से उच्च शिक्षा तक) .....

9. सह–शैक्षणिक एवं कलात्मक उपलब्धियाँ .....

मैं .....पुत्र/पुत्री श्री .....राजस्थान का मूल निवासी हूँ आवेदन पत्र में प्रेषित सम्पूर्ण सूचनाएं पूर्ण रूप से सही है। मैं किसी अन्य स्त्रोत से कोई छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हूँ/रही हूँ एवं मैं.....संस्था में नियमित विद्यार्थी हूँ।

दिनांक :

प्रार्थी का नाम एवं
हस्ताक्षर

संस्था द्वारा प्रार्थना पत्र अग्रेषित करना :

श्री/सुश्री.....पुत्र/पुत्री श्री .....इस संस्था/ महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की कक्षा.....विषय.....में अध्ययन कर रहा/रही हैं। इस सत्र में इसका कार्य संतोषजनक रहा है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मोहर सहित

# राजस्थान ललित कला अकादमी, जयपुर

## छात्रवृत्ति प्राप्त करने के नियम

राजस्थान ललित कला अकादमी प्रतिवर्ष दो प्रकार की छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है। इस प्रकार छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जायेगी जो राजस्थान के बाहर किसी भी कला महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे एवं दूसरी प्रकार की छात्रवृत्ति राज्य के किसी महाविद्यालय या स्कूल ऑफ आर्ट्स से डिग्री या डिप्लोमा कर रहे होंगे। इस प्रकार की छात्रवृत्ति आर्थिक सहायता के रूप में उन छात्रों को दी जायेगी जो राजस्थान के मूल निवासी हो एवं राज्य के बाहर किसी ललित कला महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में कला शिक्षा प्राप्त कर रहे हों। छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को मिल सकेगी जो निम्न शर्तें पूरी करते हों :–

1. ऐसे विद्यार्थी की आयु 16 वर्ष से 25 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। विशेष परिस्थिति में उच्च अध्ययन करने वाले 30 वर्ष से अधिक आयु वाले विद्यार्थी पर भी समिति विचार कर सकती है।
2. छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थी को अकादमी द्वारा नियत आवेदन पत्र अथवा इसके प्रारूप पर ही अपना प्रार्थना पत्र प्रेषित करना होगा जिसमें प्रार्थना पत्र में चाही गयी सम्पूर्ण सूचनाएं मय प्रतिलिपि के प्रेषित करना आवश्यक है। अधूरे प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जा सकेगा।
3. छात्रवृत्ति के प्राप्तकर्ता अपने कार्य की संतोषप्रद रिपोर्ट अपने प्राचार्य अथवा विभागाध्यक्ष के माध्यम से भिजवायेंगे। उसकी प्राप्ति होने पर ही उन्हें अकादमी से छात्रवृत्ति प्राप्त हो सकेगी। छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को कार्य के संतोषप्रद नहीं होने पर उसे छात्रवृत्ति से वंचित करना पड़ेगा।
4. छात्रवृत्ति के आवेदन के साथ अपनी योग्यता, कला संबंधित योग्यताओं की प्रतिलिपियाँ, बायोडाटा, 3 नवीनतम कृतियों के रंगीन छायाचित्र अथवा पारदर्शियां एवं पिता अथवा संरक्षक की आय का ब्यौरा जो सक्षम अधिकारी (राजपत्रित) द्वारा प्रमाणित हो, दिया जाना चाहिए।
5. छात्रवृत्ति देने का निर्णय एक समिति करेगी जिसका गठन कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा जिसमें कोषाध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। निर्णायक का निर्णय अन्तिम समझा जावेगा तथा उसके विरूद्व कोई अपील नहीं हो सकेगी।

# राजस्थान ललित कला अकादमी

जे–15, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004

## संस्था की सम्बद्वता एवं आर्थिक अनुदान हेतु आवेदन पत्र

1. संस्था का नाम .....
2. पता .....
   .....
   .....
3. पंजीकरण वर्ष एवं संख्या .....
4. संस्था के सदस्यों के नाम .....
   पते एवं पदाधिकारियों की
   सूची
5. स्थापना वर्ष .....
6. गत तीन वर्ष की आडिट रिपोर्ट .....
7. गत तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट .....
8. संस्था की भावी योजनाएं .....
9. संविधान की प्रतिलिपि .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि संस्था के पदाधिकारियों ने राजस्थान ललित कला अकादमी के लिये सम्बद्वता के नियम एवं उप–नियमों को पढ़ लिया है एवं हम नियमों से सहमति के पश्चात् यह आवेदन प्रेषित कर रहे हैं। संस्था के सदस्य पूर्ण रूप से अकादमी के नियमों के पालन हेतु वचनबद्व हैं।

सचिव

हस्ताक्षर एवं संस्था की मोहर

स्थान :

दिनांक :

# राजस्थान ललित कला अकादमी,

जे–15 झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004

## कला संस्थाओं को मान्यता एवं आर्थिक सहायता देने के नियम

1. राजस्थान की कोई अव्यवसायिक कला संस्था जो प्लास्टिक कला के क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष से कला को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने एवं शोध का कार्य कर रही हो, अकादमी द्वारा मान्यता दिये जाने के लिये आवेदन कर सकती है।
2. यह संस्थान राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
3. अकादमी द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप पर संस्था मान्यता हेतु अकादमी के सचिव को प्रार्थना पत्र भेजे और प्रार्थना पत्र के साथ संविधान की एक प्रति, अन्तिम वार्षिक रिपोर्ट, आडिट रिपोर्ट एवं संस्था के सदस्यों के नाम, पतों की एक सूची संलग्न की जाए।
4. अधूरे आवेदन को पूरा करने एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं को अकादमी सचिव, संस्थान से सम्पर्क कर पूरा करेंगे एवं प्राप्त आवेदन पत्रों को अकादमी की कार्यकारिणी की अगली बैठक में खुलेंगे।
5. कार्यकारिणी आवेदनों पर विचार करेगी और अपनी सिफारिशें सामान्य सभा को देगी जो किसी भी सिफारिश को उपस्थित और गत देने वाले सदस्यों के दो–तिहाई सदस्यों के कहने पर नामंजूर कर सकती है। परन्तु सामान्य सभा के निर्णय देने तक कार्यकारिणी किसी भी संस्था को अस्थाई मान्यता दे सकती है।
6. संस्था के कार्यों का निरीक्षण करने के लिये अकादमी के प्रतिनिधि या अधिकारी उन संस्थाओं में जा सकेंगे।
7. वार्षिक प्रतिवेदन तथा आडिट किये गये लेखे नियमित रूप से अकादमी को भेजे जाएं।
8. यदि कोई संस्था मान्यता प्राप्ति के बाद अपने संविधान में कोई ऐसा परिवर्तन करती है जो अकादमी के हितों या सिद्वातों के प्रतिकूल हो तो अकादमी को मान्यता रद्द करने का पूरा अधिकार होगा।
9. यदि किसी संस्था का संविधान अकादमी के हितों, उद्देश्यों या सिद्वांतों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो तो अकादमी किसी भी समय उस संस्था को अपने संविधान में संशोधन करने को कह सकती है।
10. यदि कोई संस्था किसी ऐसे ढंग से कार्य करती है जो अकादमी उद्देश्यों या सिद्वान्तों के प्रतिकूल हो तो अकादमी उस संस्था से ऐसे कार्य न करने को कह सकती है।
11. यदि कोई संस्था न. 9 में उल्लिखित सुधार नहीं करती या न. 10 में उल्लिखित कार्यवाई नहीं करती तो अकादमी की कार्यकारिणी साधारण सभा से सिफारिश कर सकती है एवं साधारण सभा संस्था को दी गई मान्यता रद्द कर सकती है।
12. संस्था में कम से कम 10 कलाकारों, कला समीक्षकों का सदस्य होना आवश्यक है एवं कला संस्थाओं को अपने क्रियाशील सदस्यों की सूची अकादमी कार्यालय को प्रतिवर्ष प्रेषित करना होगा।
13. साधारण सभा किसी भी ग्रुप या संस्था को जिसका पंजीकरण कम से कम एक वर्ष पुराना हो एवं आवेदन की सम्पूर्ण शर्तों को पूरा करते हो, ऐसी संस्थाओं को कार्यकारिणी की सिफारिश पर साधारण सभा अस्थाई सम्बद्वता दे सकती है, जिस पर प्रतिवर्ष पुनर्विचार कर नवीनीकरण दिया जा सकता है एवं कार्यकारिणी की सिफारिश पर साधारण सभा किसी भी संस्था को उसकी कार्यप्रणाली, वार्षिक रिपोर्ट, कलात्मक गतिविधियां, आडिट रिपोर्ट आदि के आधार पर स्थाई सम्बद्वता दे सकती है।
14. नवगठित संस्थाओं से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर ग्रान्ट/स्कालरशिप/रिकागनीशन समिति के तीन सदस्य अवलोकन कर अपनी सिफारिश देंगे। उनकी सिफारिश के आधार पर अस्थाई सम्बद्वता व आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये आम सभा विचार करेगी।